सत्यमेव जयते

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

ऐजेण्डा

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड की बारहवीं बैठक

Agenda

12th Meeting of the National Board for Micro, Small & Medium Enterprises

10 जुलाई, 2015
विज्ञान भवन
नई दिल्ली

10th July, 2015
Vigyan Bhawan
New Delhi

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड की बारहवीं बैठक

10 जुलाई, 2015, 11.00 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली

विषय सूची

कार्य सूची मद संख्या	मद	पृष्ठ सं.
1.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 10 मार्च, 2015 को हुई ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	2-11
2.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 10 मार्च, 2015 को विज्ञान भवन , नई दिल्ली में हुई ग्यारहवीं बैठक में उठाए गए मुद्दों /मामलों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट ।	12-21
3.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की बारहवीं बैठक के लिए कार्यसूची मद **i.** 'मेक इंन इंडिया' के लिए कार्य योजना **ii.** एमएसएमई की परिभाषा का प्रस्तावित संशोधन **iii.** एमएसएमई के पुनरूद्धार और पुनर्वास हेतु रूपरेखा **iv.** ईएम फाइल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल **v.** उद्योग आधार पंजीकरण **vi.** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का आकलन **vii.** पुनर्गठित स्फूर्ति **viii.** नवप्रवर्तन ग्रामोद्योग एवं उद्यमिता के संवर्धन (एएसपीआईआरआईई) की योजना **ix.** मुद्रा बैंक	22-48
4.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद/मुद्दा	49
5.	अनुबंध-I से IV	50-65

मद संख्याह1

10 मार्च, 2015 को आयोजित एनबीएमएसएमई की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टिय

माननीय सूक्ष्मक्र लघु और मध्यम्म उद्यम मंत्री जी की अध्यृ क्षता में 10 मार्च, 2015 को आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्मV लघु और मध्यस्म उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त् दिनांक 12 मई, 2015 के पत्र सं. 08(01)/2015/एनबीएमएसएमई के द्वारा उक्तर बोर्ड के सभी सदस्यों्में परिचालित किया गया था।

कार्यवृत्त् **अनुबंध-क** पर संलग्ने है।

अनुबंध-क

राष्ट्रीय सूक्ष्मलघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 10 मार्च, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई 11वीं बैठक का कार्यवृत्त।

1. एनबीएमएसएमई की 11वीं बैठक माननीय सूक्ष्मए लघु और मध्यम मंत्री की अध्यक्षता में 10.03.2015 को विज्ञान भवन , नई दिल्ली में संपन्न हुई। प्रतिभागियों की सू ची संलग्न है (**अनुबंध-ख**)।

2. प्रारंभ में विशेष सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, बोर्ड के विशेष आमंत्रित गणों और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 11वीं बैठक एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड के पुनर्गठन के बाद राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की पहली बैठक है। एमएसएमई के विकास से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाता है। उनका मत था कि मुख्य कार्यसूची पर चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री का विजन , जैसे, मेक इन इंडिया, जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट, स्किल मैपिंग और स्किल डेवलपमेंट शामिल है । उन्होंने ध्यान दिया कि एमएसएमई क्षेत्र के मौजूदा और नए उद्योगों के लिए प्रधानमंत्री का विजन लाभदायक होगा। उन्होंने यह भी सूचित किया कि मंत्रालय द्वारा जिले की मांग के अनुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ राज्यवार और जिला वार स्किल मैपिंग और स्किल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया ।

3. सचिव (एमएसएमई) ने भी कार्यसूची के विभिन्न मुद्दों पर बल दिया । उन्होंने उल्लेख किया कि मंत्रालय की नीतियों औ र योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा संघों और एमएसएमई संगठनों की मदद से मेक इन इंडिया पर प्रधानमंत्री के विजन का समर्थन किया जाएगा।

4. माननीय राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने अपने उद्घाटन टिप्पणियों में विशिष्ट अतिथियों का अभिवादन किया और कहा कि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप बैठक की कार्यसूची सरकार का विजन है। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में अधिकतम योगदान एमएसएमई क्षेत्र का है। बैंकों से समय पर ऋण की उपलब्धता का मामला इस क्षेत्र के सामने आने वाली एक प्रमुख समस्या है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से एमएसएमई के लिए एक मॉडल विकसित करने का अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि मंत्रालय उपयुक्त कार्रवाई के लिए इस पर विचार करेगा । उन्होंने इस बात का

भी उल्लेख किया कि राज्यों द्वारा ईएम- 2 दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जाना चाहि ए। कौशल विकास के लिए टूल रूम प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता दर को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा जीरो इफेक्ट , जीरो डिफेक्ट और स्किल मैपिंग की अवधारणा को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। महिला उद्यमियों को भी तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ व्यिवस्थायमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

5. माननीय मंत्री (एमएसएमई) श्री कलराज मिश्र , जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं , ने उपाध्यक्ष, सचिव, विशेष सचिव एवं विकास आयुक्त , सदस्यों बोर्ड के विशेष आमंत्रित गणों और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि अर्थव्यवस्था का विकास एमएसएमई प्रेरित है और एमएमएमई बड़े उद्योगों से बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में कृषि और उद्योग दो पहिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भारतीय विनिर्माण केंद्र , भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। उनके अनुसार, एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि व्यवस्था को जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट ड्राइव की ओर ले जाने के लिए एमएसएमई विनिर्माण में मेक इन इंडिया विजन को बेहतर गुणवत्ता और प्रदूषण मुक्त वातावरण से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने एमएसएमई की क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जो रोजगार सृजन में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास में मंत्रालय की योजनाएं काफी असरदार हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बैंकों को दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए और एमएसएमई को ऋण देने का जोखिम लेना चाहिए। उन्होंने बल देते हुए कहा कि एमएसएमई में उद्यमिता का गुण विकसित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम पीपीपी पद्धति के माध्यम से अपनाना चाहिए। स्किल मैपिंग को देश भर में जलवायु परिवर्तन , कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद की मांग , पर्यावरण, आदि से जोड़ते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने क्लस्टर विकास , सार्वजनिक खरीद नीति , रक्षा ऑफसेट नीति , नवीनतम प्रौद्योगिकी आदि पर भी जोर दिया। माननीय एमएसएमई मंत्री ने एजेंडा के बेहतर कार्यान्व यन के लिए एनबीएमएसएमई के अंतर्गत कार्यदलों के गठन का सुझाव दिया।

6. श्री सुभाष राजाराम देसाई , माननीय उद्योग मंत्री , महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि बड़े उद्योगों की तुलना में एमएसएमई बेहतर कर रहे हैं लेकिन उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्होंनौ कहा कि राज्यब के वि कास के लिए बड़ी परियोजनाओं की तुलना में एमएसमएई ही एकमात्र रास्ता है क्यों कि लघु इकाइयां आस-पास के क्षेत्रों के लोगों के विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। एमएसएमई का रवैया काफी सहयोगी हैं। अधिकांशत : बैंक ऋण बड़ी इकाइयों पर बकाया होता है न कि एम एस एम ई पर । उन्होंने आश्वस्ते किया कि

महाराष्ट्रो सरकार राज्य में शीघ्र ही सार्वजनिक खरीद नीति का कार्यान्वयन करेगी । किस प्रकार इकाई का वास्तसविक आकलन किया जा ए, एमएसएमई के लिए पूंजी सीमा बढ़ाई जाये, मंत्रालय द्वारा कलस्टरों के लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए, वित्तीय व्यवस्था की मॉनीटरिंग की जाए और किस प्रकार संघों के साथ नियमित बैठकें आदि की जाए पर उन्होंने अपने सुझाव दिए ।

7. श्री भगवत शरण गंगवार, माननीय उद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नियमित रूप से क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन कर हस्तशिल्प कारीगरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्रेताओं की आसान उपलब्धता के लिए लखनउ में, आसियान देशों में और दुबई में एक्सपो हब स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने महिला उद्यमियों को नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान करने और महिलाओं के बीच एमएसएमई नीति के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया । उन्होंने क्लस्टरों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया खासतौर पर उन क्लस्टरों के लिए जिनकी अवसंरचना तैयार है लेकिन कामकाज आरंभ नहीं हुआ है।

8. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, माननीय उद्योग मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि एनबीएमएसएमई के फार्मैट को बदला जाना चाहिए और सुझाव देने के लिए अलग निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने सूचित किया कि एमएसएमई देश की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और संघों के विचार महत्वपूर्ण हैं । एनबीएमएसएमई मंच एमएसएमई क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार और संघों के बीच संपर्क माध्यम का काम करता है। उन्होंने सूचित किया कि मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं यथा- औद्योगिक प्रगामी नीति का कार्यान्वयन, ऑनलाईन पंजीकरण, 15 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी , सीएम युवा योजना और सीएम उद्यमी योजना, इंक्यूबेशन केंद्र, नौ श्रम कानूनों से छूट, वेंचर पूंजी निधि का सृजन, प्रदूषण की ऑनलाइन एनओसी, रक्षा विनिर्माण नीति, ईएम 1 और 2 रिटर्न्स प्रस्तुत करना, ऑनलाइन भूमि डाटाबेस,मंडी कर आदि से छूट आदि। माननीय मंत्री ने सुझाव दिया कि विलंबित भुगतान की समस्या पर शीघ्र कार्रवाई के लिए इसे इंडस्ट्री फैसिलिटेशन काउंसिल (आईएफसी) अब माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल (एमएसईएफसी) में उठाए जाने की आवश्यकता है और उन्होंने एमएसएमई के लिए निवेश सीमा बढ़ाने, मध्य प्रदेश के अन्य भागों में इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने, नए उद्यमियों के लिए प्रारंभिक पूंजी का प्रावधान करने, सार्वजनिक खरीद नीति का

बेहतर कार्यान्वयन करने, क्लस्टर विकास, निविदा फार्म की लागत को नि:शुल्क करने, मुद्रास्फीति के अनुसार परिभाषा में परिवर्तन करने, सीएलसीएसएस के लिए सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने औरमध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में नए टूल रूम की स्थापना करने आदि की मांग की।

9. श्री मंगुइरिश पाई रायकर, सह-अध्यक्ष, एसएमई चैप्टर, एसोचैम ने मांग की कि ईएम फाइलिंग की प्रक्रिया को एमएसएमई के लाभार्थ सुव्यवस्थित और सरल बनाया जाना चाहिए। एमएसएमई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने उत्पाद शुल्क छूट सीमा को 1.5 करोड़ रू. से बढ़ाकर 5 करोड़ रू. करने, सेवा कर की सीमा को 10 लाख रू. से बढ़ाकर 20 लाख रू. तक करने, टर्नओवर सीमा का संज्ञान लेने, आईएफसी को कारगर बनाने और छोटे क्लास्टरों का संवर्धन करने की आवश्यकता पर अपने विचार रखे।

10. श्री ओ.पी.मित्तल, महासचिव, लघु उद्योग भारती, जयपुर ने सूक्ष्मक्षेत्र की निवेश सीमा को 5 करोड़ रू. से बढ़ाकर 10 करोड़ रू. तक करने के सुझाव का विरोध किया। उन्हों ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड0और एमएसएमई को ऋण प्रदान करने में बैंक से 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की भी मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि एमएसएमई के लिए प्रदूषण संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र से छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने श्रम संबंधी सुधार और एमएसएमई के लिए अर्धन्या यिक शक्ति वाले राष्ट्रीय आयोग की स्थापना आदि की आवश्यकता पर बल दिया।

11. डॉ. एस सरवनावेल, सीजीएम, नाबार्ड ने सीजीटीएमएसई के तहत एमएलआई के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को शामिल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर अलग-अलग विचार किये जाने चाहिए। इस मुद्दे पर विशेष सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कुछ आरआरबी को पहले से ही सीजीटीएम एसई के एमएलआई में शामिल किया जा चुका है और वे आरआरबी और सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हेंभ अत्यधिक जोखिम के कारण एम एल आई के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।

12. डॉ. के. शिवाजी, सीएमडी, सिडबी ने सुझाव दि या कि एमएसएमई के प्रचालन के पैमाने को आवश्क.तानुसार प्रौद्योगिकी को अपनाकर तथा उन्हेंई वित्त पोषित करने के लिए निधियां सृजित करके बाजार में बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इसके लिए ट्रेड रिसीवेबल बाजार विकसित की जानी चाहिए।

13. श्री सी.एम.राजामाणे, अध्यक्ष, कर्नाटक लघु उद्योग संघ (केएएसएसआईए), बंगलुरू ने एमएसएमई के लिए भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि देश के बाहर से वैयक्तिक लेंडिंग की अनुमति आर बी आई द्वारा दिया जाना चाहिए। उन्होंने रक्षा अधिप्राप्ति नीति और एमएसएमई की परिभाषा में जल्दी संशोधन करने की भी मांग की । उन्होंने उत्पाद शुल्क की भुगतान तिथि को प्रत्येक माह की 5 तारीख से बदल कर प्रत्येक माह की 20 तारीख करने, एनएसआईसी खरीदों में 100 प्रतिशत के बराबर की बैंक गारंटी निर्धारित करने और विलंबित भुगतान अधिनियम की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

14. डॉ. अत्यानन्द, उप सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया कि देशभर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्किल मैपिंग की जा चुकी है।

15. श्री आर.एस. जोशी, अध्यक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ (एफआईएनईआर) ने सूचित किया कि डीआईपीपी द्वारा 31.12.2014 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बनी औद्योगिक नीति को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि एमएसएमई मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बेहतरी के लिए स्थगन को समाप्त करने हेतु इस मामले को डीआईपीपी के साथ उठाए। उन्होंने मांग की कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर प्रधानमंत्री कार्यबल (2009) के अनुरूप सरकार द्वारा एक नया कार्यबल गठित किया जाए तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बेहतरी के लिए नए कंपनी अधिनियम को भी संशोधित किया जाए। उन्होंने जीएसटी के शीघ्र कार्यान्वयन, एनपीए के लिए मानदंड को बदलने के लिए 6 महीने करने, संघ की अधिक प्रभावी भूमिका, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भूमि के प्रयोग को बदलने की प्रक्रिया के प्रावधान तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अधिकार वाली भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड भूमि में बदलने की अनुमति देने का आह्वान किया।

16. श्री सुदर्शन सरीन, अध्यक्ष, अखिल भारतीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योग संघों का परिसंघ (एआईसीओएसएमआईए), ने सरकार से अनुरोध किया कि आवधिक सेमिनारों /कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देकर राष्ट्रीय स्तर के उद्योग संघों को प्रोत्साहित करे तथा उन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के नीतियों, योजनाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए टीवी और मीडिया चैनलों में कवरेज के लिए सक्षम बनाए।

17. सचिव (एमएसएमई) ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय माननीय मंत्री (एमएसएमई) तथा अध्यक्ष एनबीएमएसएमई के निदेशानुसार कार्य दल की घोषणा करने वाला है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के मुद्दों और समस्याओं के शीघ्र समाधान

के लिए विषय-विशेष में संघ के कार्य दलों का गठन उनकी विशेषज्ञता के अनुसार किया जा रहा है।

18. विशेष सचिव एवं विकास आयुक्तो (एमएसएमई) ने अपनी समापन टिप्पं णी में कहा कि सूक्ष्मह लघु एवं मध्यमम उद्यम क्षेत्र के द्वारा सामना की जा रही समस्यापओं और उठाए गए मुद्दों को देखने के लिए माननीय मंत्री (एमएसएमई) जी की इच्छा नुसार विभिन्न् मुद्दों पर कार्य दल गठित किए गए हैं। उन्होंनो निम्नषकार्य-दलों की घोषणा की :-

(i) लिए गए निर्णयों का कार्यान्वहयन
(ii) ज्ञान उद्योग
(iii) रक्षा उद्योग
(iv) तकनीकी वस्त्र् उद्योग
(v) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
(vi) इलेक्ट्रॉनिक उद्योग
(vii) फाउंड्री एंड फोर्जिंग उद्योग

19. अध्यक्ष महोदय को धन्यंवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ता हुई।

******

अनुबंध-ख

राष्ट्रीय सूक्ष्मो लघु एवं मध्याम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की दिनांक 10 मार्च, 2015 (मंगलवार) को हॉल संख्या 4, विज्ञान भवन, नई दिल्लीमें आयोजित 11वीं बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची:-

1. **श्री कलराज मिश्र, माननीय केंद्रीय मंत्री (एमएसएमई)/एनबीएमएसएमई के अध्यक्षा।**
2. **श्री गिरिराज सिंह, माननीय राज्यरमंत्री (एमएसएमई)/एनबीएमएसएमई के उपाध्यक्ष।**
3. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, माननीया एमएसएमई के प्रभारी मंत्री, मध्यएप्रदेश राज्य्।**
4. **श्री भागवत सरन गंगवार, माननीय एमएसएमई के प्रभारी मंत्री, उत्तरए प्रदेश राज्यस।**
5. **श्री सुभाष राजाराम देसाई, माननीय एमएसएमई के प्रभारी मंत्री, महाराष्ट्रदराज्य।**
6. **श्री माधव लाल, सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, नई दिल्लीी**
7. **श्री अमरेन्द्रा सिन्हान, विशेष सचिव एवं विकास आयुक्तद (एमएसएमई) तथा एनबीएमएसएमई के सदस्यअसचिव**
8. **श्री विवेक कुमार देवांगण, आयुक्तए(वाणिज्यवएवं उद्योग) एमएसएमई के प्रभारी मंत्री के प्रतिनिधि, मणिपुर राज्यद**
9. **श्री कुमार जयंत , सचिव (एमएसएमई), एमएसएमई के प्रभारी मंत्री के प्रतिनिधि , तमिलनाडु राज्य,**
10. **श्री बख्तिसाक अहमद, निदेशक, सचिव, डीआईपीपी के प्रतिनिधि , वाणिज्यलएवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्लीस**
11. **श्रीमती अनुजा बापट, निदेशक, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के सचिव की प्रतिनिधि , नई दिल्लीस**
12. **डॉ. अत्या नंद, उप सचिव , खाद्य एवं प्रसंस्क रण उद्योग मंत्रालय के सचिव के प्रतिनिधि, नई दिल्लीस**
13. **डॉ. के. शिवाजी, सीएमडी, सिडबी, मुंबई।**
14. **डॉ. एस. सरावनावेल, सीजीएम, नाबार्ड, मुंबई।**
15. **श्री टी.एम. भसीन, अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, चेन्न्ई ।**
16. **डॉ. अविनाश के दलाल (नल्लाकाला), राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय एमएसएमई संघ (एआईएमए), मुंबई।**
17. **श्री नलिन कोहली , अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ स्मॉ, ल एंड मीडियम नॉलेज इंडस्ट्रीन ज (एएसएमकेआई), नई दिल्ली।**
18. **श्री ऋषभ कोठारी, अध्यक्ष, एमसीसी चैम्बॉर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीव्र कोलकाता।**
19. **श्री ओ.पी. मित्तल, महासचिव, लघु उद्योग भारती, नई दिल्लीी**

20. श्री सुदर्शन सरीन, राष्ट्रीय अध्य्क्ष, अखिल भारतीय लघु व सूक्ष्मर उद्योग परिसंघ, नई दिल्लीस
21. सुश्री सुषमा मोरथानिया, महानिदेशक, इंडिया एसएमई फोरम, मुंबई।
22. श्री आर.एस. जोशी, अध्यक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, गुवाहाटी।
23. श्री मुथुस्वामी सी., अध्यक्ष, तमिलनाडु माइक्रो एंड टाइनी इंडस्ट्री एसोसिएशन, चेन्नई।
24. श्री मिलिंद काम्बले, अध्यक्ष, डीआईसीसीआई, पुणे।
25. श्री मांगुईरिश पाई रैकर, सह-अध्यक्ष, एसएमई चैप्टर, एसोचैम, नई दिल्ली।
26. श्री तपन के. भट्टाचार्य, अध्यक्ष-निदेशक, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी), कोलकाता।
27. श्री ई.के. पुन्नुस्वामी, अध्यक्ष, कोयंबटूर जिला लघु उद्योग संघ (कोडेसिया), बंगलुरू।
28. श्री कवि अरोड़ा, अध्य्क्ष, एसएमई चैप्टर, सीआईआई, नई दिल्ली।
29. श्री संजय भाटिया, अध्य्क्ष, एसएमई चैप्टैर, एफआईसीसीआई, नई दिल्ली।
30. श्री विश्वभनाथ, अध्यक्ष, एसएमई चैप्टर, पीएचडीसीसीआई, नई दिल्लीं।
31. श्री सी.एम. राजामाणे, अध्यक्ष, कर्नाटक लघु उद्योग संघ (केएएसएसआईए), बंगलुरू।
32. सुश्री रेवती वेंकटरमण, पूर्व अध्य्क्ष/बोर्ड सदस्य, कर्नाटक महिला उद्यम संघ, बंगलुरू (एडब्यूकेआई)।
33. सुश्री शशि सिंह, अध्यक्ष, कंसोर्टियम ऑफ विमेन आन्त्रेन प्रेन्युर्स ऑफ इंडिया (सीडब्यूईआई), नई दिल्ली।
34. श्री टी. मुरलीधरण, अध्यक्ष, टीएमआई ग्रुप, हैदराबाद।
35. श्रीमती सुषमा पॉल बर्लिया, सह-प्रोमोटर तथा अध्यक्ष, एपीजे सत्या एवं स्वर्ण ग्रुप, गुड़गांव।
36. श्री कृष्णु खन्ना, फाउंडर ट्रस्टी, आईवाच, मुंबई।
37. श्री बैज नाथ राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, 24 परगना।

विशेष आमंत्रितगण:

38. श्री अश्विनी कुमार, सीएमडी, देना बैंक, मुंबई।
39. श्री अनिल गुप्ता, लखनऊ।
40. सुश्री मंजुला मिश्रा, ग्रेटर नोएडा।
41. श्री सुनील रामा, बुलंदशहर।
42. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल, काइमगंज, फरुखाबाद।
43. श्री शिशिर कुमार पोद्दार, रांची।
44. श्री राजेश कुमार शर्मा, हमीरपुर।
45. श्रीमती स्वाति शर्मा, रायपुर।
46. श्री अमित गुप्ता, लखनऊ।
47. सुश्री उमा रेड्डी, बंगलौर।

एमएसएमई मंत्रालय तथा विकास आयुक्ता (एमएसएमई) कार्यालय के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहें।

*****

मद संख्यात2

राष्ट्रीय सूक्ष्मक़लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 10 मार्च, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्लीघमें हुई 11वीं बैठक में उठाए गए मुद्दों /मामलों पर की गई कार्रवाई नोट

राष्ट्रीय सूक्ष्मि लघु और मध्यउम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 10 मार्च, 2015 आयोजित बैठक में सदस्योंद्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार की गई कार्रवाई अनुबंध-ग पर दी गई है।

अनुबंध – ग

10 मार्च, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की ग्यारहवीं बैठक में उठाए गए मुद्दों/बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

बैठक में उठाए गए मुद्दें/बिन्दुव	की गई कार्रवाई/टिप्पेणियां
• मंत्रालय की नीतियों और योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा संघों और एमएसएमई संगठनों की मदद से मेक इन इंडिया पर प्रधानमंत्री के विजन का समर्थन किया जाएगा। (पैरा 3)	राज्य सरकारों और एमएसएमई संघों को मेक इन इंडिया विजन से उभर कर आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया गया है।
• बैंकों से समय पर क्रेडिट की उपलब्धता।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पर प्रधानमंत्री कार्यबल की सिफारिशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिनांक 29 जून, 2010 के परिपत्र द्वारा बैंकों को निम्नोक्त सलाह दी गई थी: **i.** क्रेडिट प्रवाह की बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को क्रेडिट में 20 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हासिल करना, **ii.** सूक्ष्म उद्यमों को एमएसई अग्रिमों के 60 प्रतिशत आबंटन को चरणों अर्थात वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत, 2011-12 में 55 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत में प्राप्त किया जाना है, और **iii.** सूक्ष्मा उद्यम खातों की संख्या2 में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हासिल करना। आरबीआई बैंकों द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धियों का गहन अनुवीक्षण कर रहा है और बाधाओं का पता लगाने के लिए बैंकों के साथ एक-एक कर बैठक आयोजित कर रहा है और

	क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रणाली को तेज बनाने के लिए कार्यनीतियां तैयार करने के लिए भी बल दे रहा है। आरबीआई ने उन बैंकों के साथ भी मामले पर विचार किया है जो कार्य बल द्वारा निर्धारित लक्ष्यों प्राप्त करने में असफल रहे हैं। जैसा कि आरबीआई में 5 जुलाई, 2011 को आयोजित 12वीं स्थायी सलाहकार समिति में निर्णय लिया गया था, विभिन्न एमएसई नीतियों के संबंध में ब्रांच स्तर के अधिकारियों को संवेदी बनाने की दृष्टि से एससीबी को क्षेत्र की समस्याओं को समझने तथा ऋण प्रणाली संरचना को मजबूत बनाने के लिए कार्यनीतियां तैयार करने की सलाह दी गई थी ताकि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी निर्धारित लक्ष्यर को प्राप्तसकिया जा सके । आरबीआई ने दिनांक 4 मई, 2009 के परिपत्र द्वारा बैंको को ऋण आवेदनों के केन्द्री य पंजीकरण की शुरूआत करने की सलाह दी है और इसी प्रौद्योगिकी को ऑनलाईन ऋण आवेदन जमा कराने के साथ साथ ऋण आवेदनों की ऑनलाईन ट्रैकिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कि आरबीआई ने सितंबर, 2011 में सभी प्रादेशिक कार्यालयों को इस मामले पर एमएसएमई पर अधिकार प्राप्तर समिति की बैठकों में विचार करने तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। आरबीआई ने दिनांक 4 जनवरी, 2012 के परिपत्र द्वारा यह दोहराया है कि बैंकों के लिए उनके एमएसएमई लेनदारों द्वारा स्वयं अथवा ऑनलाईन जमा कराए गए सभी ऋण आवेदनों पर अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रारूप में एक क्रमबद्ध संख्या दर्ज हो तथा साथ ही साथ उन्हें प्राप्ति रसीद भी दी जाए। सिडबी ने अपनी वेबसाईट में ऋण आवेदन उपलब्ध करवाई है। इन आवेदन फार्मों का उपयोग ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा किया जा सकता है और प्रोसेसिंग के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप में अग्रेषित किया जा सकता है। ऋण आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर में ऋण आवेदन की अर्वाडिंग इनबिल्ट है और प्रोसेसिंग के प्रत्येक चरण को रिकार्ड किया जाता है ताकि

	ऋण प्राप्तीकर्ता वास्तविक समय के आधार पर स्टेटस देख सके। स्टेटस वेबसाईट (www.sidbi.in) में प्रकाशित किया जाता है जिसके लिए पहले से ही "नो योर एप्लीकेशन स्टेटस" सृजित किया जा चुका है। ऋण प्राप्तकर्ता स्टेटस देख सकते हैं।
• सभी सहभागियों से एमएसएमई के लिए कुछ मॉडल विकसित कराना और मंत्रालय उस पर उचित कार्रवाई के लिए विचार करेगी।	ड्राफ्ट नीति दस्तावेज की प्रतिक्रिया में हितधारियों द्वारा सुझाए गए विभिन्न मॉडलों पर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।
• ईएम-2 फाईल करने के लिए राज्यों द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण किया जाना।	इस कार्यालय ने एनआईसी ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ईएम की ऑनलाईन फाईलिंग के लिए सेंटर पोर्टल पर मंच उपलब्ध कराया है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सेंट्रल पोर्टल पर ईएम की ऑनलाईन फाइलिंग अपना रहे हैं। इस तिथि तक निम्नोक्त राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने ईएम की ऑनलाईन फाइलिंग अपनाई है अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवली, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम। उपरोक्त के अलावा निम्नोसक्तं राज्योंई ने एनआईसी द्वारा सेंट्रल पोर्टल का आरंभ करने से पहले स्वत यं ही ऑनलाईन फाइलिंग कार्यान्वित कर दिया है : तमिलनाडु, असम, केरल, गुजरात, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल।

• मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता दर को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा जीरो इफेक्टि , जीरो डिफेक्टजऔर स्किल मैपिंग की अवधारणा को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।	देश भर में विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के सभी कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुटों के आधार पर व्यापक स्किल मैपिंग की गई है।
महिला उद्यमियों को भी तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ व्यवस्थामें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। **(पैरा 4)**	इसे नोट कर लिया गया है तथा हमारी प्ला न योजनाओं के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता को आगे बढ़ाते हुए महिला उद्यमियों की जरूरतों पर स हानुभूतिपूर्वक रूप से विचार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
• बैंकर्स को फ्रेंडली होना चाहिए और एमएस एमई को ऋण देने का जोखिम उठाना चाहिए। • एमएसएमई में उद्यमिता का गुण विकसित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम पीपीपी पद्धति के माध्यम से अपनाना चाहिए। **(पैरा 5)**	इस संबंध में स्वयं माननीय मंत्री सहित मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंचों पर बैंकिंग क्षेत्र को संवेदनशील बनाया गया है। विकास आयुक्तन(एमएसएमई) कार्यालय, एमएमएसई मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी केन्द्रो प्रणाली कार्यक्रम नामक से एक कार्यक्रम आरंभ किया है जिसके तहत देश के विभिन्नभागों में 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रस्थापित किए जाने हैं तथा विद्यमान प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों) को उन्नोत बनाया जाना है । कार्यक्रम की अनुमानित लागत 2200 करोड़ रू . (विश्व बैंक की 200 मिलियन अमरीकी डॉलरों की सहायता सहित) है। यह कार्यक्रम 6 वर्षो की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। आ शा है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से एमएसएमई को विश्वा स्त रीय प्रौद्योगिकी विकास सेवाएं उपलब्ध होंगी और वे राष्ट्रीसय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सकेंगे।
घरेलू बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नियमित रूप से क्रेता-	यह कार्यालय एमएसई सामान्य रूप से हस्तशिल्प कारीगरों को प्रत्येक वर्ष आईटीपीओ और एफआईईओ के माध्यम से

विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन कर हस्तशिल्प् कारीगरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्रेताओं की आसान उपलब्धता के लिए लखनउ में, आसियान देशों में और दुबई में एक्सपो हब स्थापित करना। **(**पैरा **7)**	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों जो बी2सी है, में प्रतिभागिता के लिए प्रायोजित करता है। अत: यह कार्यालय अपनी विपणन विकास सहायता योजना के माध्यम से हस्तशिल्प कार्यालयों के लिए बी2सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस संबंध में राज्य सरकार से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्ति होने हैं।
एनबीएमएसएमई के फार्मेट को बदला जाना चाहिए और सुझाव देने के लिए अलग निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। विलंबित भुगतान की समस्या पर शीघ्र कार्रवाई के लिए इसे इंडस्ट्री फैसिलिटेशन काउंसिल (आईएफसी) अब माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल एमएसईएफसी) में उठाए जाने की आवश्यकता है एमएसएमई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाना। **(**पैरा **8)**	एमएसएमई क्षेत्र द्वारा उठाए गए मुद्दों और उनके समक्ष आने वाली समस्या पर ध्यान देने के लिए विभिन्नो विषयों के तहत कार्रवाई समूह स्थापित किए गए हैं। एमएसईएफसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक द्वारा सृजित अर्धन्यायिक स्वतंत्र संस्थान हैं जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक/उद्योग आयुक्त एमएसईएफसी के अध्यक्ष के रूप में होते हैं । इस कार्यालय के पास एमएसईएफसी द्वारा लिए गए मामलों की प्रगति संबंधी तिमाही रिपोर्टें रखने की व्यवस्था है।. एमएसएमई में निवेश की सीमा को बढ़ाने संबंधी मामले पर सरकार विचार कर रही है। यह किया जा रहा है और नवीनतम सूचना के अनुसार प्रस्ताव संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है।
• ईएम फाइलिंग की प्रक्रिया को एमएसएमई के लाभार्थ सुव्यवस्थित और सरल	इस कार्यालय में एनआईसी ने राज्यों/संघ राज्ये प्रदेशों में ईएम की ऑनलाईन फाईलिंग के लिए सेंटर पोर्टल पर मंच उपलब्धस कराया है। राज्यं /संघ राज्य प्रदेश सेंट्रल पोर्टल पर ईएम की

बनाया जाना चाहिए • उत्पाद शुल्क छूट सीमा को 1.5 करोड़ रू. से बढ़ाकर 5 करोड़ रू. करना। • सेवा कर की सीमा को 10 लाख रू . से बढ़ाकर 20 लाख रू. करना। • टर्नओवर सीमाओं का संज्ञान लेना • आईएफसी को कारगर बनाना • छोटे क्लस्टरों का संवर्धन करना। **(पैरा 9)**	ऑनलाईन फाइलिंग अपना रहे हैं। इस तिथि तक निम्नोक्त राज्यों/संघ राज्यि प्रदेशों ने ईएम की ऑनलाईन फाइलिंग अपनाई है अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह , बिहार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवली, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मूं और कश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम। उपरोक्त के अलावा निम्नो क्ति राज्यों ने एनआईसी द्वारा सेंट्रल पोर्टल का आरंभ करने से पहले स्व यं ही ऑनलाईन फाइलिंग कार्यान्वित कर दिया है: तामिलनाडु, असम, केरल, गुजरात, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है अथवा सही समय पर विचार किया जाएगा।
• एमएसएमई क्षेत्र के लिए लेवल प्लेम इंग फील्डर , एमएसएमई को ऋण प्रदान करने में बैंक से 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी । • एमएसएमई के लिए प्रदूषण	इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है अथवा सही समय पर विचार किया जाएगा।

संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र से छूट दी जानी चाहिए।	
• श्रम संबंधी सुधार की आवश्यकता • एमएसएमई के लिए अर्धन्यायिक शक्ति वाले राष्ट्रीय आयोग की स्थापना आदि **(**पैरा **10)**	
एमएसएमई के प्रचालन के पैमाने को आवश्कतानुसार प्रौद्योगिकी को अपनाकर तथा उन्हें वित्तपोषित करने के लिए निधियां सृजित करके बाजार में बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए ट्रेड रिसीवेबल बाजार विकसित की जानी चाहिए। (पैरा 12)	इसे नोट कर लिया गया है और इस पर भली भांति विचार किया जा रहा है।
एमएसएमई के लिए भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर। देश के बाहर से वैयक्तिक लेंडिंग की अनुमति आर बी आई द्वारा दी जानी चाहिए। रक्षा अधिप्राप्ति नीति की जरूरत। उत्पाद शुल्क की भुगतान तिथि को प्रत्येाक माह की 5 तारीख से बदल कर 20 तारीख करना। एनएसआईसी खरीदों में 100 प्रतिशत के समतुल्या की बैंक गारंटी निर्धारित करना। विलंबित भुगतान अधिनियम की	इसे नोट कर लिया गया है और इन सुझावों पर भली भांति विचार किया जा रहा है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में इसके अध्याय 5 में एमएसई को विलंबित भुगतान की व्यवस्था दी गई है। ये प्रावधान एमएसई के विलंबित भुगतान संबंधी मामले से निपटने के लिए काफी सख्तभहैं। इन्हें लागू करना एकमात्र समस्या है।

शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। **(पैरा 13)**	
• जीएसटी का शीघ्र कार्यान्वयन। • डीआईपीपी ने पूर्वोतर के लिए औद्योगिक नीति को स्थगित कर दिया है , अत: एमएसएमई मंत्रालय को सूक्ष्मय लघु एवं मध्यअ म उद्यमों की बेहतरी के लिए स्थयन को समाप्तस करने हेतु इस मामले को डीआईपीपी के साथ उठा ना चाहिए। • सूक्ष्म, लघु एवं मध्य म उद्यमों पर प्रधानमंत्री कार्यबल के अनुरूप (2009) सरकार द्वारा एक नया कार्यबल गठित किया जाए। • एमएसएमई की बेहतरी के लिए नए कंपनी अधिनियम को भी अनुरूप बनाया जाना चाहिए। • एनपीए के लिए मानदंड घोषित करने के लिए 6 माह करना। • संघों की अधिक प्रभावी भूमिका। • सूक्ष्म, लघु एवं मध्य म उद्यमों के लिए भूमि के प्रयोग को बदलने की	देश में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के आरंभ को सुगम बनाने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक लाए जाने के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 17 दिसम्बर, 2014 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसे नोट कर लिया गया है और इन सुझावों पर भली भांति विचार किया जा रहा है।

प्रक्रिया के प्रावधान तथा सूक्ष्मय लघु एवं मध्या म उद्यमों के अधिकार वाली भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्डकभूमि में बदलने की अनुमति। **(**पैरा **15)**	
• आवधिक सेमिनारों/सम्मेलनों को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देकर राष्ट्रीय स्तंर के उद्योग संघों को प्रोत्साहन • सूक्ष्मा लघु एवं मध्य म उद्यम मंत्रालय के नीतियों , योजनाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्नकरने के लिए टीवी औ र मीडिया चैनलों में कवरेज। **(**पैरा **16)**	इसे नोट कर लिया गया है और इन सुझावों पर भली भांति विचार किया जा रहा है।

मद सं 3

राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड

की

12वीं बैठक के लिए कार्यसूची टिप्पणी

कार्यसूची मद सं (i): 'मेक इन इंडिया' के लिए कार्य योजना

भारत में एमएसएमई क्षेत्र अपने आकार , प्रौद्योगिकी के स्तर, रोजगार और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की श्रृंखला के संबंध में विविधतापूर्ण है। बुनियादी ग्रामोद्योगों से आरंभ करते हुए क्षेत्र के उत्पादों ऑटो कॉम्पोनेंट, माइक्रो प्रोसेसर, इलैक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट और इलैक्ट्रो-मेडिकल डिवाइस तक फैले हुए हैं। इस क्षेत्र ने स्पेस सैटेलाइट जैसे कि मंगलयान और चंद्रयान के लिए भी महत्वैपूर्ण सहयोग दिया है। एमएसएमई ने हाल के वर्षों में लगभग 10 प्रतिशत की निरन्तर वृद्धि दर दर्शायी है जोकि बड़े पैमाने के कारपोरेट क्षेत्र से कहीं अधिक है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 37.5 प्रतिशत, विनिर्माण उत्पादन का 36 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान करता है। एमएसएमई छह हजार उत्पादों का उत्पादन करते हुए लगभग 36 मिलियन उद्यमों के माध्यम से 8.0 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है।

(क) विनिर्माण और सेवाओं के लिए इको-सिस्टम

मेक इन इंडिया कार्यनीति का लक्ष्य निवेश को सुगम बनाना , नवोन्मेष में तेजी लाना, कौशल विकास का विस्तार करना और देश में **विनिर्माण आधारभूत संरचना के लिए इको-प्रणाली** निर्मित करना है। इस कार्यनीति का वास्तविक उद्देश्य निवेश की अधिकतम सीमा और नियंत्रण को सरल बनाना है ताकि भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों को वैश्विक भागीदारी के लिए खोला जा सके। एमएसएमई मंत्रालय सरकार की 'मेक इन इंडिया' ड्राईव में एक प्रमुख सहयोगी बनने वाला है।

एमएसएमई मंत्रालय क्षेत्र के समक्ष आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए वित्तो, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, विपणन और कौशल विकास के क्षेत्रों में कई कार्यक्रम और योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

भारत में एमएसएमई क्षेत्र के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक उपयुक्तर दरों पर समपार्श्विकता मुक्तसऋण की अनुपलब्धता है। इसके साथ ही भारत में वेंचर कैपिटल फंडों, एंजेल फंडों और इनोवेशन फंडों की प्रत्य क्षत: उपस्थिति भी नहीं है। 'मेक इन इंडिया' अभियान उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला और विपणन नेटवर्क के संबंध में एमएसएम ई क्षेत्र की अंतर्निहित गहराई का लाभ उठाने के लिए विदेशी कॉरपोरेटों /निवेशकों को निवेश करने और वेंचर/एंजेल फंड स्थापित करने के लिए आकर्षित कर सकता है। मंत्रालय समपार्श्वि कता मुक्तं क्रेडिट के प्रावधान पर केन्द्रि त कार्रवाई योजनाओं, राज्यसरकारों के वित्तीय समर्थन से किसी विशिष्ट राज्यके उद्यमियों को गारंटियां प्रदान करने के लिए स्टेरट वर्टिकलों का सृजन, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्ता र प्रदेशों के युवाओं के लिए वर्टिकलों का सृजन करके इन चुनौतियों का भी सामना करेगा।

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में विदेशी भागीदारों को अनुभव होने वाला एक अन्य लाभ यह है कि इस क्षेत्र में उत्पाद्दन प्रक्रिया पहले से ही जारी है। उत्पादन प्रक्रिया की शुरूआत के लिए अपेक्षित विभिन्न नेटवर्क पहले से ही स्थापित हैं। इन क्षेत्रों में उत्कृ ष्टता प्राप्तकरने के लिए विदेशी इकाई को केवल अपना निवेश और तकनीकी जानकारी लाने की ही आवश्यकता है।

इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एसएमई को प्रतिस्पव र्धी बनाने के लिए उनके विनिर्माण व्येवहार्यों में सुधार लाने में उनकी सहायता करने की परिकल्पप ना की गई है। इसका उ द्देश्य प्रौद्योगिकी अंतरण, संयुक्तं वेंचर परियोजनाओं के लिए सहयोग करने में उनकी सहायता करना है तथा उन्हेंअउनके अंतर्राष्ट्रीय साथियों के साथ संपर्क करने को प्रोत्साहित करना है। लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) और अधिक प्रतिस्पं र्धी बनने तथा वैश्वि् क बाजार में प्रवेश करने के उद्देश्य से अपने प्रतिरूपों के साथ <u>तकनीकी सहयोग</u> के लिए अधिकाधिक विश्वं की ओर देख रहे हैं। विदेशों में फर्मों के साथ तकनीकी सहयोग से गुणवत्तामें सुधार लाने और लागतों में कमी करने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय का उद्देश्यसवैश्विक प्रतिस्पे र्धी विनिर्माण के लिए एमएसएमई क्लि स्टरों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) की स्थापना करके एक इकोसिस्टिम का सृजन करना है। यह विश्वए बैंक की सहायता से 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्र् स्थापित करके, क्लस्टक नेटवर्क मैनेजर्स (सीएनएम) और एक राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा समर्थित नई प्रौद्योगिकियों और परीक्षण सुविधाओं से 18 मौजूदा प्रौद्यागिकी केन्द्रों का परिवर्धन करके किए जाने का प्रस्तावि है। सीएनएम एक वेब बनाएगा जो नए विपणन संपर्कों के माध्यी म से एमएसएमई के लिए व्यवसाय अवसरों में बढ़ोतरी करे गा, उद्योग-शिक्षण-संस्थानों के लिए पारस्प रिक मंच उपलब्धग कराएगा, प्रमुख इनोवेशन हितधारियों के साथ गहन सहयोग स्थापित करेगा और कौशल विकास और श्रम विपणन हितधारियों के बीच गहन सहयोग को सुगम बनाएगा। लीन विनिर्माण

प्रतिस्पर्धात्मकता योजना, डिजाइन क्लिनिक योजना, क्यूएमएस/क्यूसीटी योजना और आईसीटी योजना आदि को सरल और उन्नत बनाकर क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में परिवर्धन करने का उद्देश्य भी है।

एमएसएमई नवप्रवर्तन के प्रमुख वाहक हैं और नई प्रौद्योगिकियों और विचारों के लिए इन्यूमबेटरों के रूप में कार्य करते हैं। एमएसएमई को उनके व्यवसायों के संवर्धन के लिए नूतन विचार और अवधारणाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उत्पाद और प्रक्रिया इनोवेशनों के प्रति सहयोगी हस्तक्षेपों, विविधीकरण और बड़े बाजारों तक पहुंच से क्षेत्र को बढ़ने और प्रमुख वैश्विक प्लेयर के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। आईआईएससी और सीएसआईआर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच के अंतराल को कम करने के प्रयास जारी हैं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर एक यूनिडो परियोजना भी आरंभ की गई है।

ऑफसेट नीति सहित एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विश्व भर में सरकारों द्वारा प्रयोग किए जा रहे दो प्रमुख साधन हैं। सार्वजनिक खरीद नीति ने स्थानीय उद्योग के विपणन और बिक्री को बढ़ावा दिया है साथ ही डिजाइन, प्रौद्योगिकी और पैकेजिंग, जहां ऑफसेट नीति अधिक कार्यनीतिक रही है, में निवेश के अनुवर्ती लाभ (कभी-कभी) भी प्रदान करती है। इसने एफडीआई और प्रौद्योगिकी प्रवाह के साथ ही स्थानीय उद्योग की वृद्धि भी सुनिश्चित की है। यह दोनों नीतियों में स्पष्ट रूप से परस्पर व्याप्तित है। सीपीएसयू के साथ सहयोग में वीडीपी (विक्रेता विकास कार्यक्रम) और सामान्य कार्रवाई योजनाओं के माध्यम से नई सार्वजनिक खरीद नीति को लोकप्रिय बनाने तथा इसके प्रभावी कार्यान्वेयन करने के प्रयास भी चल रहे हैं। एमएसएमई द्वारा रक्षा विनिर्माण के इकोसिस्टम के सृजन के लिए डिफेंस ऑफसेट नीति का लाभ भी उठाया जा रहा है।

एमएसएमई क्षेत्र के बने रहने के लिए क्लस्टरिंग एक वैश्विक घटना है। एमएसएमई क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक सम्पूर्ण भारत में फैले क्लईस्टरों से आता है। इसके अलावा हमारे कोर उत्पादों अर्थात गारमेंट्स, चमड़े का सामान, इंजीनियरिंग मदें, रत्नहऔर आभूषण आदि के प्रमुख उत्पादक क्लस्टरों में उत्पादन करते हैं जो कि नूतन विनिर्माण की नर्सरी है जिसमें हमारे एमएसएमई उन्नति कर रहे हैं। एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई क्लीस्टरों में विभिन्नपपहलों के माध्यम से आधुनिकीकरण और नूतनता को सहयोग प्रदान कर रहा है। क्लस्टर अप्रोच को भी उन्नत किया जा रहा है।

(ख) जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्टभ

ये सभी प्रयास **जीरो इफेक्ट् जीरो डिफेक्ट्** विनिर्माण योजना के काफी अनुकूल है ताकि भारतीय उद्योग वैश्विक बाजार में उत्कृष्टता की स्थिति हासिल कर सके और 'मेड इन इंडिया' मार्क के माध्यम से विश्व के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को उभरने में आगे बढ़ाया जा सके। इस क्षेत्र में मंत्रालय ने न केवल अपनी योजनाओं जैसे कि विशेषरूप से लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना, गुणवत्तासप्रबंध मानक (क्यूएमएस) और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी साधन (क्यूटीटी), प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन (टीईक्यूयूपी) योजनाओं का संरेखन किया है अपितु भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) के साथ विनिर्माण में गुणवत्ता मानदण्डों की प्रभावशाली श्रृंखला को शामिल करके 'जेड सर्टिफिकेशन' भी तैयार किया है।

छोटी फर्में स्थानीय कार्यनीतिक सहभागियों-विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय सहायिकाओं के साथ अपने नेटवर्क संपर्कों का उपयोग करके प्रभावशाली रूप से विकास कर सकती हैं। इस संदर्भ में तीन मुख्य पाठ तैयार किए गए हैं:

- अवसर को पहचानना
- बाधाओं को दूर करना
- सक्रियता से कार्य करना

'मेक इन इंडिया' कार्यनीति का एकमात्र अर्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सिर्फ आमंत्रित करना नहीं है, बल्किडभारत को एक विनिर्माण हब में बदलने के उद्देश्यटसे यह तात्कालिक रूप से अपने घर को व्यवसाय करने पर भी बल देती है। देश में व्यवसाय करने को सरल बनाने के लिए सुधार होना चाहिए।

(ग) स्किल मैपिंग

कौशल प्रदान करना रोजगार सृजन की सबसे महत्वपूर्ण युक्तियों में से एक है और गतिशील औपचारिक लघु और मध्यम आकार (एसएमई) के उद्यमों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उत्पादकता विकास को बढ़ाता है और सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के लिए व्यापार संबंधी व्यावहारिक समाधान खोजने में मदद कर सकता है । पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के उत्पादन और प्रबंधन तकनीकों में शिक्षित युवाओं के प्रभावी प्रशिक्षण के माध्यम से **स्किल मैपिंग** और उद्योग उत्तरदायी कुशल जनशक्ति के सृजन पर जोर दिया गया है । यह भारतीय उद्यम विकास सेवा का निर्माण और उद्योग के लिए वेब आधारित रोजगार कार्यालय के रूप में संस्थागत प्रस्तोता द्वारा समर्थित किया जाएगा। मंत्रालय विभिन्न मापदंडों जैसे कि क्लस्टर, बनाए गए उत्पाद और वहाँ पर ज़रूरी संस्थागत प्रस्तोता के आधार पर प्रत्येक जिले में स्किल नीड मैपिंग करने की प्रक्रिया में है ।

(घ) कौशल विकास

'मेक इन इंडिया' अभियान से दीर्घकालिक आधार पर जुड़ते हुए सरकार को उभरते हुए उद्यमियों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत में हर वर्ष लगभग 16 लाख छात्र अभियांत्रिकी, प्रबंधन तथा पॉलीटेक्निक से उत्तीर्ण हो रहे हैं। उन्नत देशों में, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में इंजीनियर से उद्यमी के रूप में रूपान्तरण काफी अधिक है। क्या कारण हैं कि, भारत में, रूपान्तरण अनुपात 10% भी नहीं है? इस तर्क के आधार पर भारत में हमारे पास 5-6 वर्षों का अनुभव रखने वाली एक करोड़ से भी अधिक तकनीकी जनशक्ति है जो स्पष्ट रूप से युवा/30 वर्ष की आयु से कम है । लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि, प्रशिक्षित जनशक्ति एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प के रूप में उद्यम शुरू करने का कार्य नहीं कर पा रही है ? नए व्यवसायों के लिए प्रवेश बाधाओं (लागत सहित) को कम करने की ज़रूरत का पता लगाया जाना ज़रूरी है ।

उद्यमिता को बढ़ावा देना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का मुख्य काम है । मंत्रालय भारतीय युवाओं में उद्यमी गुणों को उत्पन्न करने के लिए उद्यमिता कार्यक्रमों का आयोजन करने में अग्रणी रहा है । सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी व ग्रामोद्योग के लिए आवश्यक कौशल गुणों से लेकर ऑटो- कम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फार्मा उत्पादों इत्यादि जैसे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी उद्योगों के लिए अपेक्षित कौशल गुणों की व्यापक रेंज में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को **कौशल विकास** प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है । हालांकि, अब कौशल विकास के क्षेत्रों में जैसे कि संस्थानों की मान्यता, प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम विकास, उद्योगों के बीच परस्पर संपर्क, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रवृत्ति अभिज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों के लिए और अधिक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है । इस दिशा पर ध्यान केंद्रित कर मंत्रालय, पहले से ही एक एक विशेष रूप से तैयार किए गए पाठ्यक्रम और उद्योग प्रमाणित पाठ्यक्रम का उन्नत मॉडल ला चुका है, जैसा कि, टूल रूम और एफ़एफ़डीसी में किया गया है ।

देश भर में प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत बनाने के लिए और 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए , मंत्रालय ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पीपीपी मोड में एमएसएमई- सैमसंग टेक्निकल स्कूल की स्थापना करने के लिए संयुक्त पहल की है । अब देश के विभिन्न भागों में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार का उद्देश्य एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्रों में 10 एमएसएमई- सैमसंग टेक्निकल स्कूल स्थापित करना है । यह उन संभव मॉडलों में से एक है जो युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है जिससे कि उनके

रोजगार की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है और उन्हें स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए भी प्रेरित करता है।

हमें **'मेक इन इंडिया'** संकल्पना को उद्योग उत्तरदायी जनशक्ति की मदद से गुणवत्ता विनिर्माण से एक समर्थकारी इको-सिस्टम तंत्र बनाकर एकीकृत रूप में देखना होगा। इस उद्देश्य को पाने के लिए , हम एमएसएमई नीति तैयार करने की प्रक्रिया में हैं जो इस क्षेत्र को एक रूपरेखा देगा। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सब्सिडी ढांचे से एक सक्षम ढांचे, समर्थन ढांचे तक और केवल बहुत छोटे व्यवसायों के लिए एक नए सब्सिडी ढांचे तक जाना है। नीति के प्रमुख तत्व एक स्टार्ट-अप रेजीम फ्रेमवर्क से लेकर एक्जिट पॉलिसी फ्रेमवर्क तक है जो आने वाले वर्षों में एमएसएमई उद्यमियों को आवश्यक विज़न प्रदान करेगा।

****

कार्यसूची मद सं (ii) : एमएसएमई की परिभाषा का प्रस्तावित संशोधन:

2.1 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के खंड 7(1) में उद्यमों को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है और उसके बाद क्रमश: प्लांट व मशीनरी और उपकरणों में निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में परिभाषित किया गया है। वर्तमान निवेश सीमाएं निम्नलिखित हैं:

उद्यम का प्रकार	**विनिर्माण**	**सेवा**
सूक्ष्म	25 लाख रुपये तक	10 लाख रुपये तक
लघु	25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये	10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक
मध्यम	5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये	2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक

2.2 वर्ष 2014-15 के अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि पूंजी की उच्चतम सीमा बढ़ाने के लिए एमएसएमई की परिभाषा की समीक्षा की जाएगी। के वी कामत रिपोर्ट (फरवरी 2015) में यह सिफारिश की गई थी कि एमएसएमई मंत्रालय दूसरे सरकारी प्राधिकारियों के परामर्श से समय- समय पर अपेक्षित एमएसएमई परिभाषाओं में किसी संशोधन पर विचार कर सकता है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि निवेश जैसी मूल्य आधारित सीमाओं की एक उपयुक्त मुद्रास्फीति मानदंड से जुड़े ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन की क्रियाप्रणाली होनी चाहिए।

2.3 मंत्रालय ने एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन के संबंध में एक प्रारूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2014 तैयार किया है। माननीय एमएसएमई मंत्री के अनुमोदन से एक पृष्ठभूमि टिप्पणी के साथ यह प्रारूप विधेयक संबंधित मंत्रालयों और सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया गया। अब तक , मंत्रालय को सिर्फ सात राज्यों /संघ शासित प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश , उत्तर प्रदेश , हरियाणा, राजस्थान, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दमन व दीव , दादरा और नगर हवेली से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। बाकी राज्य /संघ शासित प्रदेश सरकारों से 17.6.2015 के अनुस्मारक पत्र के माध्यम से टिप्पणियां /सुझाव प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त पत्रों की प्रतियां अनुबंध I और II में दी गई हैं।

एमएसएमईडी (संशोधन) विधेयक, 2015 के उद्देश्य

(i) विभिन्न वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एमएसएमई की उभरती भूमिका के अनुरूप मूल्य सूचकांक और निवेश लागत में बदलाव को देखते हुए प्लांट व मशीनरी में निवेश की मौजूदा सीमा को बढ़ाना।

(ii) खंड 7(9) में लघु उद्यमों के अलावा मध्यम उद्यमों को शामिल करना , ताकि उद्यमों की उक्त श्रेणी लाभों को प्राप्त करके प्रतिस्पर्धी बन सके, और

(iii) मुद्रास्फीति और गतिशील बाजार स्थिति को देखते हुए अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार को निवेश की मौजूदा सीमा को संशोधित करने के लिए अधिकार प्रदान करना।

प्लांट व मशीनरी में पूंजी सीमाओं को बढ़ाते हुए एमएसएमई की प्रस्तावित परिभाषा को निम्नलिखित स्तरों तक बढ़ाना:-

क्षेत्र	**प्लांट व मशीनरी में निवेश सीमा**	
	वर्तमान	**प्रस्तावित**
विनिर्माण		
सूक्ष्म	25 लाख रुपये	50 लाख रुपये
लघु	5 करोड़ रुपये	10 करोड़ रुपये
मध्यम	10 करोड़ रुपये	30 करोड़ रुपये
सेवाएं		
सूक्ष्म	10 लाख रुपये	20 लाख रुपये
लघु	2 करोड़ रुपये	5 करोड़ रुपये
मध्यम	5 करोड़ रुपये	15 करोड़ रुपये

2.4 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015 को 20.4.2015 को लोक सभा में पेश किया गया था और 13.5.2015 को लोक सभा में विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद विधेयक को 21.5.2015 को उद्योग संबंधित विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। समिति की पहली बैठक 17.06.2015 को आयोजित की गई।

******

कार्यसूची मद सं (iii): एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास हेतु रूपरेखा:

3.1 एमएसएमई की देश के संपूर्ण आर्थिक विकास में एक मह त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और उनमें विकसित होने की क्षमता बढ़ी है परंतु मुख्य बाधा यह है कि उन्हेंभमर्याप्त या समय पर वित्तीस बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एमएसएमई की रुग्णता , अनुत्पादक परिसंपत्तियों और एक्जिट नीति से संबंधित विभिन्न मुद्दे समय- समय पर विभिन्न जगहों पर उठाए जाते रहे हैं। भारत में 90 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई या तो स्वामित्व वाले या पार्टनरशिप उद्यम हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर प्रधान मंत्री कार्य बल, 2010 ने अन्य बातों के साथ- साथ सिफारिश की कि आउटडेटेड प्रोविंशियल इंसॉल्वें सी एक्ट, 1920 की जगह, एक मॉडल इंसॉल्वेंसी एक्ट बनायी जाए और परिचालित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए, जिसमें असंगठित फर्मों के लिए समयबद्ध पुनर्जीवन और एक्जिट का समर्थकारी प्रावधान होगा।

3.2 लघु इकाइयों के पुन र्गठन/बंदी/एक्जिट के लिए कोई कानूनी रूपरेखा नहीं है, जिससे मानव संसाधनों (प्रमोटरों और कर्मचारियों), पूंजी (बैंक व वित्तीय संस्थान) और भौतिक संसाधन (औद्योगिक भूमि व भवन , प्लांट, मशीनरी, आदि) की काफी बर्बादी होती है। जब तक दिवालियापन की समस्या को सुलझाने के लिए कानूनी ढांचे में विस्तृत संशोधन नहीं हो ता, एमएसएमई के पुनर्जीवन और एक्जिट के लिए विशेष छूट की आवश्यीकता है।

3.3 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 9 के तहत एमएसएमई के पुनर्जीवन और पुनर्वास हेतु एक रूपरेखा अधिसूचित की है। यह रूपरेखा 2012 और 2014 के मौजूदा आरबीआई अधिसूचना की विशेषताओं को अनुपूरित करता है। इस रूपरेखा के तहत , कोई भी उद्यम राज्य सरकारों , विशेषज्ञों और अन्य के प्रतिनिधित्व के साथ बैंकों द्वारा गठित एक समिति के द्वारा पुनर्जीवन और पुनर्वास लाभ प्राप्त कर सकता है। राजपत्र अधिसू चना की एक प्रति अनुबंध III में दी गई है।

रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

3.3.1 **इंसिपियेंट स्ट्रेस की पहचान:** किसी एमएसएमई के लोन एकाउंट के अनुत्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) में बदलने से पहले , बैंकों/ऋणदाताओं को खाते में इंसिपियेंट स्ट्रेस की पहचान क रनी पड़ती है। कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम भी स्वेच्छा से इस रूपरेखा के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है अगर उद्यम उपयुक्त रूप से अपने व्यवसाय की विफलता या अपनी अक्षमता या

ऋण चुकाने की संभावित असमर्थता को समझ लेता है, इससे पहले कि उद्यम का कुल नुकसान उसके संपूर्ण लागत का आधा या उससे अधिक हो जाए।

3.3.2 **अस्वस्थ (डिस्ट्रेस्ड) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समितियां :** सभी बैंक ऐसे स्थानों पर एक या अधिक समितियों का गठन करेंगे , जैसा कि ऐसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा जरूरी समझा जाएगा ताकि ऐसे बैंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने वाले सभी पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उपयुक्त पहुंच प्रदान किया जा सके । समिति में बैंक के प्रतिनिधि, स्वतंत्र विशेषज्ञ और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

3.3.3 समिति द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी): समिति खाते में दवाब को हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा सकती है। इसका उद्देश्य अंतर्निहित परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य के साथ-साथ ऋणदाताओं के ऋण की रक्षा करने और उद्यम को अपने व्यवसाय जारी रखने देने के लिए शीघ्र और व्यवहार्य समाधान पर पहुंचना है। उपचारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के संचालन की अवधि के दौरान, उद्यम को अपने व्यापार के संचालन के लिए सुरक्षित और असुरक्षित दोनों क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति होगी।

3.3.4 उपचारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के तहत विकल्प: समिति द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के तहत विकल्पों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं : (i) सुधार - खाते को विनियमित करना ताकि खाता गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) की श्रेणी में न आए, (ii) खाते की पुनर्संरचना यदि यह प्रथम दृष्टया व्यवहार्य है और ऋण लेने वाले एक इरादतन चूककर्ता नहीं है, और (iii) वसूली – यदि ऊपर (i) और (ii) के दो विकल्प व्यवहार्य नहीं होते हैं तो उचित वसूली की प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है।

3.3.5 पुनर्गठन की प्रक्रिया: यदि समिति सीएपी के रूप में खाते के पुनर्गठन का फैसला करती है, तो इसे पुनर्गठन का निर्णय लेने के बाद खाते को उद्यम ऋण पुनर्गठन (ईडीआर) प्रकोष्ठ को भेजने या ईडीआर तंत्र से स्वतंत्र पुनर्गठन कराने का विकल्प होगा। यदि समिति ईडीआर तंत्र से स्वतंत्र खाते के पुनर्गठन का फैसला करती है, तो समिति को विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन करना चाहिए और यदि व्यवहार्य हो तो अंतिम सीएपी पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनर्गठन पैकेज को अंतिम रूप देना चाहिए।

3.3.6 परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रोविजनिंग पर विवेकपूर्ण मानदंड : जहां पुनर्गठन प्रस्ताव समिति / ईडीआर के विचाराधीन है, वहां सामान्य परिसंपत्ति वर्गीकरण मानक लागू रहेगा। किसी परिसंपत्ति के

पुनर्गठन की प्रक्रिया सिर्फ इसलिए नहीं रोकी जानी चाहिए क्योंकि पुनर्गठन प्रस्ताव समिति / ईडीआर के विचाराधीन है। तथापि, पुनर्गठन पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन के रूप में, मौजूदा निर्देशों के अनुसार खातों के पुनर्गठन पर विशेष परिसंपत्ति वर्गीकरण का लाभ इन दिशा-निर्देशों के तहत पुनर्गठन हेतु लिए गए खातों के लिए उपलब्ध रहेगा।

3.3.7 स्वैच्छिक चुककर्ता और गैर-सहकारी ऋण प्राप्तकर्ता : बैंकों द्वारा स्वैच्छिक चुककर्ता के साथ व्यवहार के संबंध में समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

3.3.8 समीक्षा: यदि समिति निर्णय करती है कि किसी उद्यम के विरूद्ध रिकवरी की कार्रवाई की जानी है तो ऐसा उद्यम समिति के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर समिति द्वारा निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध कर सकता है। इस सेक्शन के तहत दायर आवेदन पर आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा और और इस तरह की समीक्षा के परिणामस्वरूप समिति उद्यम के पुनरुद्धार के लिए नए सिरे से उपचारात्मक कार्रवाई की योजना को आगे बढ़ाने का यदि फैसला करती है तो यह उसी के अनुसार लागू होगा।

******

कार्यसूची मद संख्या (iv): उद्यमी ज्ञापन (ईएम) फाइल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल

4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में सभी उद्यमों के लिए उद्यमी ज्ञापन -I और उद्यमी ज्ञापन -II दाखिल करने की व्यवस्था है। इस प्रक्रिया को स्वैच्छिक बना दिया गया है और उद्यमियों को डीआईसी के समुचित पारिस्थितिकी प्रणाली के अभाव में उन्हें दाखिल करने में कठिनाई होती है। मैन्युअल प्रक्रिया कई चुनौतियों से भरी है और इसे निवेशक के अनुकूल नहीं माना जाता है। बोझिल प्रक्रिया के कारण और चूंकि ईएम दायर करना अनिवार्य नहीं है, कई एमएसएमई ने खुद को पंजीकृत नहीं कराया है और सरकार द्वारा दी जानेवाली सेवाओं के दायरे से बाहर है।

4.2 ऊपर्युक्तयके मद्देनजर, एनआईसी के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यमिता ज्ञापन (ईएम) -I और -II, ऑनलाइन दायर करने के लिए वेब पोर्टल विकसित किया है। इसका उद्देश्य किसी भी समय पंजीकरण के माध्यम से आवेदक के लिए उद्यमी ज्ञापन -I और -II दायर करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। वर्तमान में, इस राष्ट्रीय पोर्टल www.em.msme.gov.in को 14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है और 47,884 उद्यमी ज्ञापन -I और 12,333 उद्यमी ज्ञापन -II आवेदन ऑनलाइन दायर किया गया है। ऑनलाइन प्रणाली अपनाने से ईएम पंजीकरण की उच्च दर को प्रोत्साहन मिला है और विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक एमएसएमई सक्षम हुए हैं।

4.3 पोर्टल से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है जिससे प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा । यह निवेश के आशय के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के माध्यम से सरकार को एक महत्वपूर्ण निगरानी उपकरण प्रदान करता है। 8 सितंबर 2014 को एक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योग सचिवों के साथ इस पोर्टल की मुख्य विशेषताओं पर विचार-विमर्श भी किया गया। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस पोर्टल को अपनाने में सुविधा के लिए , इस मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, बिहार और चंडीगढ़ के राज्यों के जिला उद्योग केन्द्रों और उद्योग निदेशालय के अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए अपने अधिकारियों को तैनात किया था। इसके अलावा, मंत्रालय ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य / संघ राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए कार्यशाला- सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक श्रृंखला का आयोजन किया था।

******

कार्यसूची मद संख्याए(v): उद्योग आधार पंजीकरण:

5.1 एमएसएमई क्षेत्रों की वित्तीय संरचना पर कामथ समिति की रिपोर्ट में पंजीकरण के सार्वभौमीकरण (अध्याय 8 पैरा 2) सहित कई सिफारिशें की गई हैं। कामथ समिति की रिपोर्ट के अध्याय 8 पैरा 2 में कहा गया है:

'एमएसएमई मंत्रालय पंजीकरण के सरलीकरण और अन्य विभागों / मंत्रालयों के साथ संपर्क का समन्वय कर सकता है। उसके बाद प्रस्तावित राष्ट्रीय एमएसएमई पोर्टल में जानकारी और दस्तावेजों के एक सरल सेट के साथ लघु उद्योगों के लिए सरल एकपृष्ठा के पंजीकरण फार्म की आवश्यकता है। देश में मोबाइल फोन की बढ़ती पैठ और मोबाइल उपकरणों पर डेटा सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ यह पोर्टल मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आसानी से सुलभ होना चाहिए। समिति परिकल्पना करती है कि इस तरह के एक दृष्टिकोण से छह महीने की समय सीमा में एमएसएमई के बीच 95% पंजीकरण हासिल किया जा सकता है।

5.2 कामथ समिति के उपर्युक्ता सिफारिश के अनुरूप , मंत्रालय ने एक पृष्ठ के सरलीकृत पंजीकरण फार्म उद्योग आधार विकसित करने की पहल की है जिसके तहत एमएसएमई स्वयं अपने अस्तित्व, बैंक खाते, व्यापार गतिविधि का विवरण, रोजगार और स्वामित्व का विवरण और अन्य मूलभूत जानकारी को प्रमाणित करेगा। "उद्योग आधार" फार्म अनुबंध- IV में दिया गया है।

5.3 एमएसएमई क्षेत्र के वित्तीय ढांचे पर कामथ समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए 15.06.2015 को माननीय मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। सचिव (एमएसएमई) ने भी वित्तीय ढांचे पर कामथ समिति की सिफारिश के अनुरूप उद्योग आधार पंजीकरण के सार्वभौमीकरण पर टिप्पणियों के लिए दिनांक 19.06.2015 के पत्र द्वारा सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा है।

******

कार्यसूची मद संख्या (vi): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का आकलन

- लाल किले से अपने संबोधन में 15 अगस्त, 2008 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना की घोषणा की गई थी । यह पूर्ववर्ती आरईजीपी और पीएमआरवाई योजना के वि लय से बनी भारत सरकार की क्रेडिट लिंक्डरयोजना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है।

- इस स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर केवीआईसी द्वारा और राज्य स्तर पर राज्य केवीआईसी निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के माध्यम से किया जाता है। इस स्कीम के तहत सरकार की ओर से सब्सिडी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उनके बैंक खातों में लाभार्थियों / उद्यमियों को अंतिम वितरण के उनके चिन्हित बैंकों के माध्यम से भेजी जाती है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना केवीआईसी और राज्य/संघ राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से 30:30:40 के अनुपात में लागू किया जाता है।

- कार्यान्वयन एजेंसियां, स्कीम के कार्यान्वयन में और क्षेत्र विशेष में व्यवहार्य परियोजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के क्षेत्र में और उद्यमशीलता विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)/प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थाओं/स्वेयं सहायता समू हों (एसएचजी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) / राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के तहत पैनल में शामिल (आरजीयूएमवाई)उद्यमी मित्र, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य संगत निकायों को शामिल करती हैं।

पीएमईजीपी - अखिल भारतीय उपलब्धि:

ग्यारहवीं योजना (2008-09 से 2011-12) और बारहवीं योजना (2012-13 से 2014-15) के दौरान पीएमईजीपी की प्रगति

वर्ष	जारी एमएम सब्सिडी (करोड़ रु.)	उपयोग की गई एमएम सब्सिडी (करोड़ रु.)	सहायताप्रदत्त परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
ग्यारहवीं योजना कुल **(2008-09 से 2011-12)**	**3131.65**	**3067.69**	**1,64,283**	**16,05,865**
2012-13	1228.44	1080.66	57,884	4,28,246
2013-14	988.36	1076.45	50,493	3,78,907
2014-15 (अंतिम)	1073.17*	1122.54	48,168	3,57,502
12 वीं योजना कुल	**3289.97**	3279.65	1,56,545	11,64,655
कुल योग (11वीं और 12 वीं योजना)	**6421.62**	**6347.34**	**3,20,828**	**27,70,520**

पिछले वर्ष की उपयोग नहीं की गई धनराशि सहित

*2012-13 और 2013-14 के दौरान प्रोद्भूत 24.32 करोड़ रुपए के ब्याज सहित

<u>ग्यारहवीं और बारहवीं योजना में पीएमईजीपी का निरूपण</u>

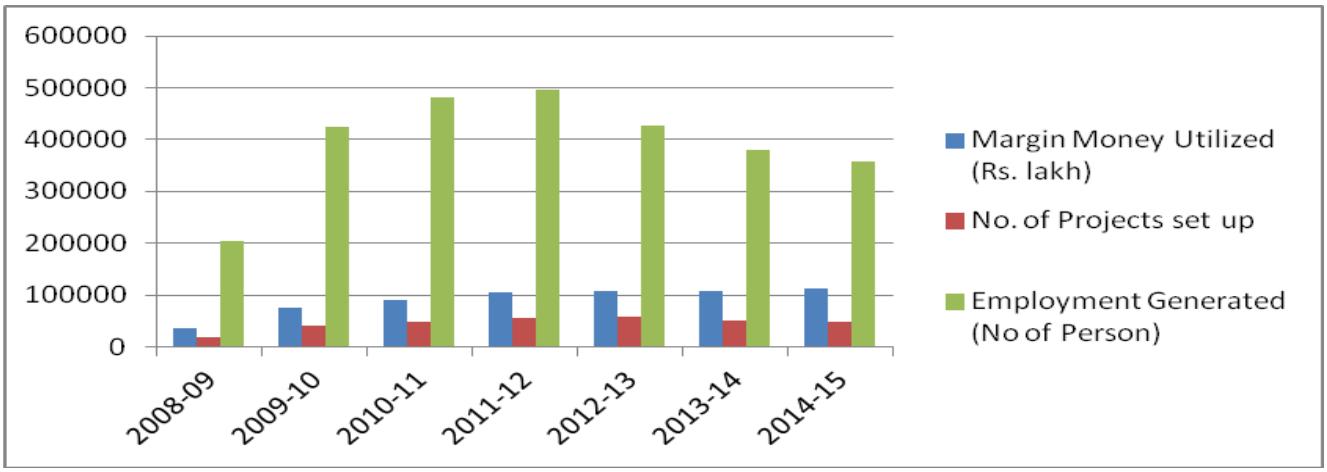

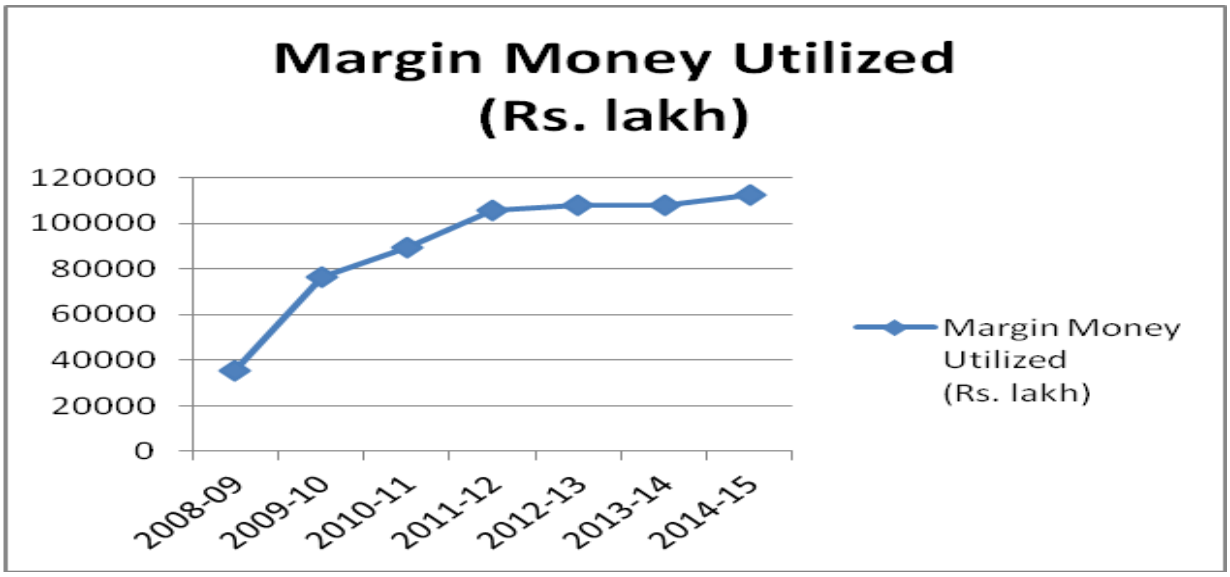
Margin Money Utilized (Rs. lakh)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
Margin Money Utilized (Rs. lakh)

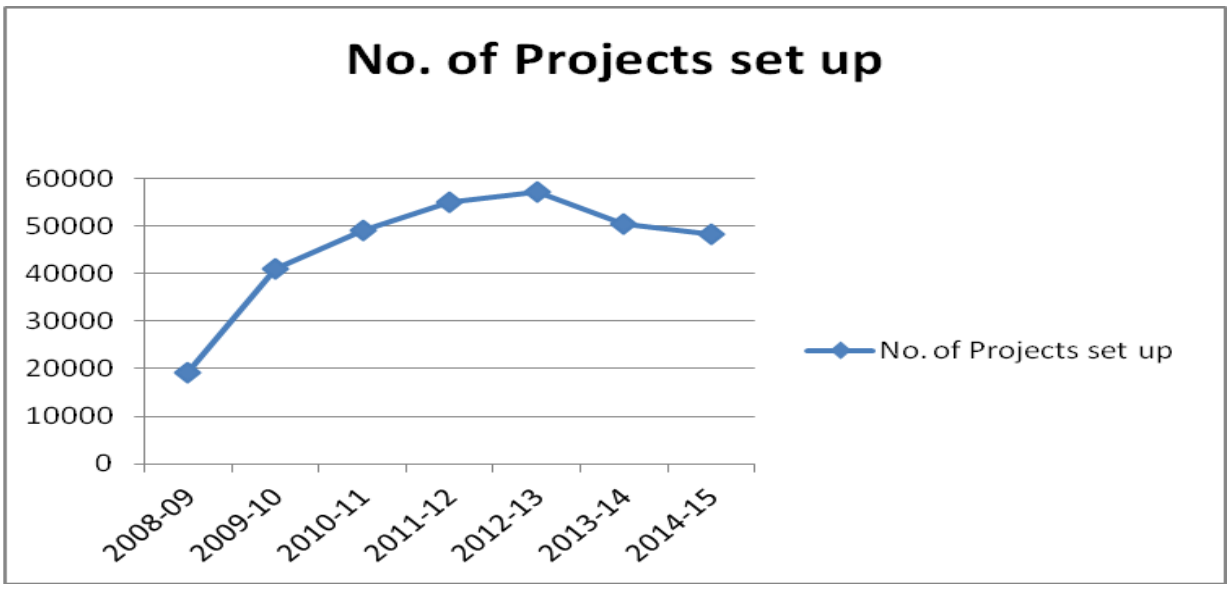
No. of Projects set up
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
No. of Projects set up

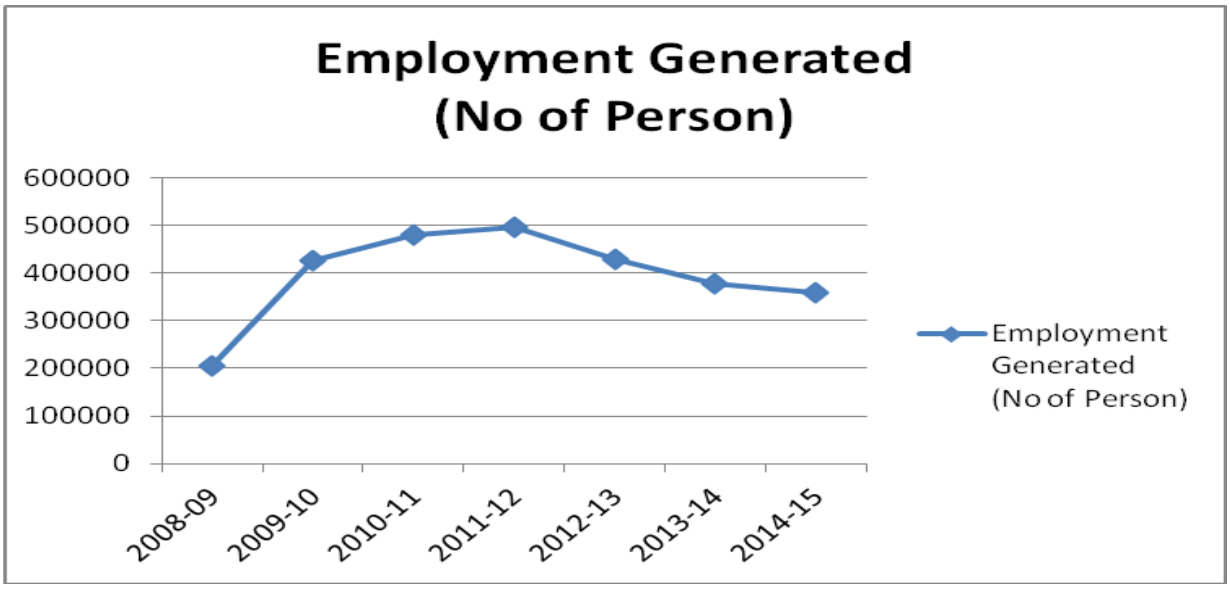

2015-16 के लिए लक्ष्यः

मार्जिन मनी आवंटन	1019 **करोड़ रु.**
सहायता प्रदान की जानेवाली परियोजनाओं / इकाइयों की संख्या	52875
सृजित किए जानेवाले रोजगार के अवसर (8 व्यक्ति प्रति परियोजना की दर से)	4.23 **लाख व्यक्ति***

नई पहल:

1) पीएमईजीपी की नकारात्मक सूची के दायरे का विस्तार करने के लिए पीएमईजीपी के दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। हाल ही में संशोधित नकारात्मक सूची:

क) मांस (वध किए हुए) से जुड़े किसी भी उद्योग /व्यापार, यानी प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी और /या भोजन के रूप में परोसे जानेवाले आईटम के रूप में , बीड़ी/पान/सिगार/सिगरेट आदि, जैसे मादक पदार्थों के उत्पादन/विनिर्माण या बिक्री, शराब परोसने वाले किसी होटेल या ढाबा या सेल्स आउटलेट, कच्चे माल के रूप में शराब/ तंबाकू उत्पादन, बिक्री के लिए ताड़ी का दोहन।

ख) चाय, कॉफी, रबर आदि जैसी फसलों की खेती/बागान के साथ जुड़े किसी भी उद्योग /व्यापार रेशम उत्पादन (कोकून पालन), बागवानी, फूलों की खेती। पीएमईजीपी के तहत इनमें मूल्य संवर्धन की अनुमति दी जाएगी।

ग) मछली पालन, सूअर पालन, कुक्कुट, आदि जैसे पशुपालन से जुड़ा कोई भी उद्योग/ व्यापार।

घ) 20 माइक्रोन मोटापा से कम के पॉलिथीन कैरी बैग या खाद्य सामग्री और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का कारण बननेवाले अन्ये मद के भंडारण , ढुलाई, डिस्पेंसिंग या पैकेजिंग के लिए पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बना कैरी बैग या कंटेनर।

2) संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, अब निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति दी गई है:

क. पश्मीना ऊन और हाथ से कताई और हाथ से बुनाई जैसे अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण के उद्योग।

ख. विशेष क्षेत्रों को छोड़कर उस राज्य के लिए कुल मार्जिन मनी लक्ष्य के 10% के अधीन सभी ग्रामीण और शहरी परिवहन गतिविधियां।

ग. चाय, कॉफी, रबर आदि रेशम कीट पालन, बागवानी, फूलों की खेती के लिए उत्पादों का मूल्य संवर्धन।

3) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के एक नोडल शाखा की अवधारणा के कार्यान्वयन के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं। धन के प्रवाह पर निगरानी रखने के लिए पीएमईजीपी के तहत बैंकों की सभी नोडल शाखाओं को

पीएफएमएस (योजना वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के तहत केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) के माध्यम से जोड़ा गया है। नोडल शाखाओं द्वारा सीधे डेटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

4) पीएमईजीपी योजना के क्रियान्वय न में पारदर्शिता लाने के लिए और साथ ही पीएमईजीपी लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए , पीएमईजीपी आवेदनों की ई-ट्रैकिंग शुरू की गई है। प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने , बेहतर प्रशासन और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार की जांच के लिए केवीआईसी ने आवेदन दाखिल कर ने से लेकर चयन, मंजूरी, संवितरण, इकाइ की स्थापना और इसकी भौतिक जांच तक इस योजना के तहत सभी मामलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की है । आवेदक अपने मामलों की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

5) तैयार की गई 307 **मॉडल प्रोजेक्ट् रिपो र्ट** संभावित लाभार्थियों के लाभ के लिए पीएमईजीपी के वेबसाईट पर डाल दी गई हैं तथा एनएसआईसी (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम) के इंक्यूबेशन केंद्रों से प्राप्तं 150 प्रोजेक्टी रिपोर्टें भी एनएसआईसी वेबसाईट के माध्यम से लिंक कर दी गई है ।

6) आवेदक की स्थिति का प ता लगाने तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पीएमईजीपी के तहत सभी आवेदकों को आवेदन पत्र में **आधार कार्ड नम्बर** का उल्लेख करना चाहिए ।

7) एमएसएमई क्षेत्र के लाभ को प्राप्त करने के लिए **उद्योग आधार** आवेदन [पूर्ववर्ती **उद्यमिता ज्ञा पन (ईएम-1)**] फाइल करने के लिए ऑनलाईन रजिस्टर करने के लिए पीएमईजीपी और आरईजीपी यूनिटों को सक्षम बनाया गया है ।

8) पीएमईजीपी यूनिटों के उत्पादों की रेंज को प्रदर्शित करने और उनका संवर्द्धन करने के लिए केवीआईसी द्वारा अलग से एक वेब-पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे पीएमईजीपी यूनिटों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एलडब्यू ई जिलों में पीएमईजीपी में ट्रेडिंग गतिविधियों /विक्रय केंद्रों को शामिल किया गया है ।

9) जाली यूनिट, आवेदनों के चयन और ऋण की स्वीकृति में अनियमितता ओं सहित विभिन्न पहलुओं पर पीएमईजीपी लाभार्थियों /जन-सामान्य से **ऑनलाईन शिकायतें** प्राप्त

करने के लिए केवीआईसी ने एक समर्पित पोर्टल तैयार किया है । इस पोर्टल पर शिकायतों का निवारण समयबद्ध तरीके से किया जाता है ।

10) **ईडीपी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आरएसईटीआई के साथ समझौता ज्ञापन** : केवीआईसी ने पीएमईजीपी के तहत आरएसईटीआई /आरयूडीएसईटीआई के 578 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से ईडीपी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आरएसईटीआई (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थापन) के राष्ट्रीय संघ के साथ 20 फरवरी, 2015 को एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है ।

<u>नोडल बैंकों द्वारा दावा की गई मार्जिन मनी के संवितरण में विलंब</u> <u>का मुद्दा:-</u>

इस संबंध में यह प्रस्तावित है कि बैंक निपटान में तेजी लाने के लिए वित्त पोषक बैंकों से नोडल बैंकों को अथवा नोडल बैंकों से वित्तपोषक बैंकों ऑनलाईन दावों की मार्जिन मनी को अग्रेषित करने की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर सकते हैं । इसके अलावा बैंक मार्जिन मनी दावों को प्रस्तुत करने के लिए जांच सूची भी तैयार कर सकते हैं जिसे वित्त पोषक बैंकों को परिचालित किया जा सकता है तथा प्रबंधकों को इस संबंध में शिक्षित किया जा सकता है जिससे नोडल बैंक के स्तर पर अस्वीकृति न्यूनतम हो ।

******

कार्यसूची मद संख्यां (vii): पुनर्गठित स्फूर्ति

- ❖ माननीय वित्तमंत्री ने केन्द्रीय बजट 2013-14 में 12वीं योजना के दौरान लगभग 4 लाख कारीगरों को कवर करने के लिए 850.00 करोड़ रूपए के परिव्यय से खादी ग्रामोद्योग और कॅयर 800 क्लस्टरों की स्थापना की घोषणा की थी । इस अधिदेश को पूरा करने के लिए एडीबी जैसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से सहायता की संभावना का भी पता लगाया जा रहा है ।
- ❖ पुनर्गठित स्फूर्ति के दिशा-निर्देश अगस्त, 2014 में जारी किए गए थे, जिनमें प्रथम चरण में (लगभग) 44500 कारीगरों को कवर करने के लिए 71 क्लस्टरों (जिसमें कॅयर के कलस्टर भी शामिल है) को विकसित करने के लिए 147.95 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है ।
- ❖ पुनर्गठित स्फूर्ति की अवधि 3 वर्ष है तथा निर्दिष्ट धनराशि और लघु, प्रमुख एवं विरासत वाले क्लस्टरों के लिए लक्ष्य निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	क्लसटरों की संख्या	प्रति क्लसटर धनराशि	कुल धनराशि
1.	विरासत	1	8.00	8.00
2.	प्रमुख	8	3.00	24.00
3.	लघु	46	1.50	69.00
	कुल	**55**		**101.00**

- ❖ प्रमुख मुद्दे दिसम्बर, 2014 में हुई 3 एसएससी स्तर के बैठकों तथा इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 22 मार्च, 2015 का हुई पुनर्गठित स्फूर्ति पर राष्ट्रीय कार्यशाला एवं एनआईएमएसएमई, हैदराबाद में 08.05.2015 को कयर बोर्ड द्वारा आयोजित स्फूर्ति पर राष्ट्रीय कार्यशाला से निकलकर सामने आए हैं और जारी किए गए दिशा- निर्देशों पर और अधिक व्यापक स्तर पर विचार किया गया ताकि जारी किए गए दिशा- निर्देशों में स्पष्टता के अभाव के कारण आने वाली सभी अड़चनों और विलंबों को दूर किया जा सके और इसे व्यवस्थित किया जा सके ।
- ❖ इन दिशा-निर्देशों के प्रमुख परिवर्तनों में से एक परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित विद्यमान दो नोडल एजेंसियों नामत : केवीआईसी, कयर बोर्ड के अलावा अन्य **नोडल एजेंसी के चयन के लिए मानदंडों** को अनुमोदित करने से संबंधित था और बाद में एसएससी ने 3 नोडल एजेंसियों नामत: निस्बड, निम्सीमे, आईआईई अनुमोदित की थी ।

केंद्र सरकार के कार्य आवंटन नियमों में किए गए नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार निस्बड तथा आईआईई, गुवाहाटी को कौशल विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

- इन दिशा-निर्देशों के प्रमुख परिवर्तनों में से एक परिवर्तन **पारंपरिक एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज पर बल देना तथा बाजारोन्मुखी दृष्टिकोण प्रदान करना है,** जिसे इन परियोजनाओं का पता लगाने और उनकी संरचना के लिए अपना या जाएगा जिससे उस परियोजना की गतिविधियों की व्यावहार्यता और दीर्घावधिक संवहनीयता सुनिश्चित की जा सके । **सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए धनराशि को हार्ड इंटरवेंशन से पहले जारी कर दिया जाएगा।**
- यह योजना अब आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है तथा किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र (एक अथवा अधिक जिलों) में नौकरी का सृजन तथा क्लीस्टरों के लिए **बहु-उत्पादों** (पहले केवल एकल उत्पाद की अनुमति थी) के लिए अनुमति देता है ।
- जहां तक पूरी योजना में **राज्य सरकार की भूमिका** का संबंध है इसे आवश्यकतानुसार स्पष्ट कर दिया गया है । दिशा- निर्देशों में आवश्यक सिफारिशें/अनुमोदन तथा उनके अनुरूप समय-सीमा प्रस्तावित किए गए हैं । डीपीआर अनुमोदन स्तार से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन मांगा गया है ताकि आवश्यक अनापत्ति देने में राज्य सरकारों को सक्षम बनाया जा सके ।

- **अद्यतन स्थिति**: कुछ तथ्य इस प्रकार से हैं:

i. प्रथम चरण में स्थापित किए जाने वाले 71 क्लस्टरों में से 55 क्लस्टर खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत विकसित किए जाने हैं ।

ii. अब तक 12वीं योजना के दौरान विकासशील क्लस्टरों के लिए तकनीकी एजेंसियों के रूप में 31 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है ।

iii. स्कीम स्टेयरिंग कमिटी (एसएससी) द्वारा 4 क्लस्टरों को अनुमोदित कर दिया गया है तथा उनके लिए डीपीआर को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि उन्हें धनराशि स्वीकृत की जा सके ।

iv. उपर्युक्त 4 क्लस्टरों के अलावा केवीआईसी के प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी (पीएससी) द्वारा 7 क्लस्टरों की डीपीआर सहित एससी के अंतिम अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई है ।

******

कार्यसूची मद संख्या (viii): नव-प्रवर्तन, ग्रामोद्योग एवं उद्यमिता के संवर्द्धन (एएसपीआईआरआईई) की योजना

यह योजना प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना तथा उद्यमिता को बढ़ाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और ग्राम एवं कृषि आधारित उद्योग में नव-प्रवर्तन और उद्यमिता के लिए नई शुरू हो रही इकाइयों के संवर्द्धन के लिए 16.03.2015 को प्रारंभ की गई थी ।

❖ इस योजना का योजनागत परिणाम निम्नांनुसार है:

क. एलबीआई के लिए योजनागत परिणाम:

- 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स

तालिका: इंक्यूबेट्स की संख्या

प्रति केंद्र प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	एलबीआई की संख्या	अवधि वर्ष	प्रस्तावित इंक्यूबेट्स
800	10	3	24000
800	30	2	48000
800	40	1	32000
800	80	3	104000

- पूरी तरह से कुशल और प्रशिक्षित कुल 104,000 इंक्यूबेट्स इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे ।

ख. टीबीआई के लिए योजनागत परिणाम:

कार्यकलाप	विद्यमान इंक्यूबेटर्स (जिन्हेंरसहायता दी जानी है)	नए इंक्यूंबेटर्स (जिन्हेंरस्थाय पित किया जाना है)	वास्तविक लक्ष्य् कुल व्यय सहित
(i) सहायता प्राप्ति करने वाले और स्थापित किए जाने वाले इंक्यूबेटरों की संख्या	20 केंद्र @ आईएनआर 30 लाख = आईएनआर 600 लाख	10 केंद्र @ आईएनआर 100 लाख = आईएनआर 1000 लाख	30 केंद्र / आईएनआर 16.00 करोड़
(ii) विचारों का इंक्यूबेशन	300 विचार @ आईएनआर 3 लाख = आईएनआर 900 लाख	150 विचार @ आईएनआर 3 लाख = आईएनआर 450 लाख	450 विचार/ आईएनआर 13.50 करोड़
(iii) नव विचारों से बिजनेस	100 नए स्थापित	50 नए उद्यम @	150 नए स्थापित

उद्यमों का सृजन	उद्यम @ आईएनआर 20 लाख = आईएनआर 2000 लाख	आईएनआर 20 लाख = आईएनआर 1000 लाख	उद्यम/ आईएनआर 30 करोड़
(iv) अग्रणी (एक्सीलिरेटर) कार्यशाला	2 वर्षों में ऐसी 10 कार्यशालाओं के लिए अग्रणी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रति कार्यशाला आईएनआर 20 लाख		10 कार्यशाला/ आईएनआर 2 करोड़

वर्तमान स्थिति:

- देवरिया, उत्तर प्रदेश में 15.04.2015 को प्रथम लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किया गया है ।
- राजकोट- गुजरात, काशीपुर- उत्तराखंड, नवादा-बिहार, चेन्नेई- तमिलनाडु में एलबीआई की स्थापना अग्रिम चरण में है ।
- एलबीआई की स्थापना के लिए एनएसआईसी के साथ पीपीपी मोड के लिए लगभग 10 प्रस्तावों पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।
- आईआईएम-अहमदाबाद, नॉर्दन जोनल ट्रेनिंग यूनिट , आईएआरआई तथा कई अन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिखाई गई अभिरूचि पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।

******

कार्यसूची मद संख्या (ix): मुद्रा बैंक

केन्द्रीय वित्तमंत्री ने 2015-16 के केंद्रीय बजट में सांविधिक अधिनियमन के माध्यम से एक माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) बैंक स्थापित करने की घोषणा की है । लास्ट माइल फाइनेंसर्स के पुनर्वित्तपोषण के लिए रिफाइनेंस फंड सृजन हेतु प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कमियों से मुद्रा बैंक को 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है । सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों की गारंटी प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी कार्पस सृजित करने हेतु बजट से मुद्रा बैंक को अन्य 3,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं ।

एनएसएसओ सर्वेक्षण (2013), के अनुसार देश में 5.77 करोड़ लघु/सूक्ष्म इकाइयां हैं जिनमें लगभग 12 करोड़ लोग रोजगाररत हैं । अधिकांश व्यक्ति प्रोपराइटरशिप/''ऑन एकाउंट इंटरप्राइसेस' हैं' । 60% से अधिक इकाइयां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के स्वामित्व वाली है । इनमें से अधिकांश औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर है और उन्हें अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है अथवा अपनी स्वयं की सीमित धनराशि का उपयोग करना पड़ता है । इस अंतर को पाटने के लिए ही मुद्रा का प्रस्ताव किया गया है। लास्ट माइल क्रेडिट डिलिवरी की अच्छी संरचना सृजित करके मुद्रा महत्वाकांक्षी युवाओं को प्रथम पीढ़ी के उद्यमी बनने के लिए भरोसे को बढ़ाएगी तथा विद्यमान लघु व्यवसायियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा ।

चूंकि मुद्रा बैंक को अपने गठन के लिए सांविधिक अधिनियमन की अपेक्षा होगी, अत: यह निर्णय लिया गया था कि मुद्रा को एनबीएफसी के रूप में लॉन्च किया जाएगा और तदनुसार माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 08 अप्रैल, 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसी दिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का भी शुभारंभ किया गया था, जिसके द्वारा सभी बैंकों को सूक्ष्म उद्यमियों को गैर कृषि गतिविधियों से आय में वृद्धि के लिए 10 लाख रुपए तक का वित्तपोषण करना अपेक्षित होगा तथा इसे योजना में शामिल करना होगा । इस योजना के तहत मुद्रा पुनर्वित्तपोषण/क्रेडिट गारंटी समर्थन भी प्रदान करेगा ।

मुद्रा विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कोर ग्रुप का पहले ही गठन किया जा चुका है । इस समय मुद्रा सिड्बी की एक सब्सिड्री कंपनी है जिसका नाम मुद्रा लिमिटेड है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 7 के उपखंड (2) तथा कंपनी (इनकॉरपोरेशन) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत शामिल है । सिड्बी ने मुद्रा के लिए 250 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी का अंशदान भी किया है ।

मुद्रा बैंक उन सभी सूक्ष्म वित्त पोषण संस्थानों के नियमन और वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार होगा जो विनिर्माण, ट्रेडिंग और सेवा गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म/लघु व्यापार इकाइयों को ऋण देने के

व्यवसाय में हैं । यह बैंक राज्य स्तरीय/क्षेत्रीय स्तर के समन्वयकों के साथ भागीदार होगा जिससे लघु/सूक्ष्म व्यवसायिक उद्यमों के लास्ट माइल लेंडर को वित्त पोषण किया जा सके ।

भारत सरकार के दिनांक 02 मार्च, 2015 के प्रेस नोट में उल्लिखित मुद्रा बैंक के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

(i) सूक्ष्म/लघु उद्यमों के वित्तयपोषण व्यवसाय के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
(ii) एमएफआई संस्थाओं के पंजीकरण, नियमन और मान्यता/रेटिंग ।
(iii) सूक्ष्म/लघु उद्यमों को लास्ट माइल लेंडिंग वाली प्रासंविदाओं के सेट के मानकीकरण विकसित करना तथा लास्टघमाइल के लिए उचित प्रौद्योगिकीय समाधानों का संवर्द्धन ।
(iv) जिन्हें सूक्ष्मयउद्यमों को दिये जा रहे ऋणों के लिए गारंटी देने हेतु क्रेडिट गारंटी योजना को तैयार करना और उसे संचालित करना ।
(v) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्कीम के तहत सूक्ष्मकव्यवसायों तक लास्टटमाइल क्रेडिट डिलिवरी की अच्छी संरचना का सृजन करना ।
(vi) मुद्रा के तहत ऋण प्रदान करने पर निम्नम लिखित श्रेणियों में ऋणों को प्रदान करके सूक्ष्म उद्यमों के बिना वित्तापोषण वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना जिससे वे भी राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वेपूर्ण योगदान दे सकें ।

मुद्रा के तहत ऋण की तीन श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं:-

- 50,000 रुपए तक का ऋण (शिशु)
- 50,001 से 5 लाख रुपए तक का ऋण (किशोर)
- 5.0 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण (तरूण)

शिशु पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ।

मुद्रा ने पार्टनर एजेंसियों नामत: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी के लिए पात्रता मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया है । तदनुसार 118 संस्थानों जिनमें 71 बैंक, 25 एमएफआई और 22 एनबीएफसी को मुद्रा के पार्टनर के रूप में चुना गया है। इनके अतिरिक्तऔर अधिक एजेंसियों को पार्टनर बनाया जाएगा। मुद्रा ने "मुद्रा कार्ड" नामक फ्लेक्सिकल क्रेडिट उत्पाद भी प्रस्तुत किया है जो बैंकों द्वारा सीधे ही अथवा एमएफआई के सहयोग से प्रदान किया जाएगा।

******

मद संख्या 4

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद/मुद्दा